माननीय उच्च न्यायालय आदेश
सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक 2606/12-2/2008 भोपाल,दिनांक 5 जुलाई, 2008

प्रति,
समस्त कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला–
मध्यप्रदेश

कलेक्टरेट, सीहोर
शाखा........खनिज........
7 JUL 2008
Collector,
Distt. Sehore

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका डब्ल्यू.पी.नंबर 1574/08 (अजय दुबे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) जनहित याचिका में पारित आदेश के संबंध में।

उपरोक्त याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.कमांक 1574/08 में माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.7.2008 की प्रति संलग्न है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका मे यह आदेश पारित किये गये है कि "प्रदेश में मुख्य खनिज एवं गौण खनिजों की जितनी खदानें बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति/सम्मति प्राप्त किये वर्तमान में संचालित हैं उनमें तत्काल प्रभाव से खनन संक्रियाएं बंद कराई जायें। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिन पट्टेदारों के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है उन्हें तत्काल अनापत्ति प्राप्त करने नियमानुसार आवेदन पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जावें।"

माननीय महाधिवक्ता के पत्र दिनांक 3.7.2008 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये। आपसे यह भी अपेक्षा है कि राजस्व, उद्योग, खनिज एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जिन खनिज पर आधारित उद्योगों के द्वारा विधि के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं एवं जो नियमानुसार सहमति/अनुमति की पात्रता रखते हैं को एक समय सीमा में अनुमति प्राप्त हो जावे।

3877
7/7/08

आप जिला स्तर पर इसकी साप्ताहिक/पाक्षिक समीक्षा करें। जिससे खनिज उद्योगों में लगे श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे एवं प्रदेश शासन को राजस्व की हानि न हो।

यह सुनिश्चित करें कि इस पत्र के जारी होने के उपरान्त तत्काल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सम्मति लिये बिना संचालित समस्त मुख्य/गौण खनिजों की खदानों को बन्द कर दिया जावे एवं उनके पास जो पिटपास/ट्रांजिट पास है, जमा करा लिया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय में शासन को दिनांक 14.8.2008 को आदेश का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन शासन एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल को आवश्यक रूप से दिनांक 9.7.08 तक उपलब्ध करायें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

संलग्न--उपरोक्तानुसार

सचिव 5/7
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0क्र0 2607/12/2008 भोपाल,दिनांक 5-7-08

प्रतिलिपि:--

1-- प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

2-- समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।

3-- अध्यक्ष मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

4-- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29 ए अरेरा हिल्स भोपाल

की ओर सूचनार्थ।

सचिव 5/7
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग